



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 181 of 2023 (EZ)
(Earlier O. A. No. 704/2023/PB)

In Re: News item appearing in Dainik Bharat
02.11.2023 titled "प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज़ हुआ
बालू के अवैध खानन के खेल"
Applicant

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors.
Respondent

INDEX

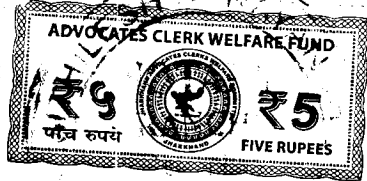
S. N.	Particulars	Page No.
1.	Counter Affidavit on Behalf of the Jharkhand State Pollution Control Board.	03-07
2.	Annexure - A: True copy of the Memo No. 1188 dated 31/08/2013.	08-09



3.	Annexure - B: True copy of the Board's Ref. No. PC/NGT/40/2023/B-2591 dated 24/11/2023.	10
4.	Annexure - C: True copy of the Letter No. 1927/M dated 25/11/2023.	11-32

Filed by: -

Surendra Kumar
Advocate
Jharkhand State Pollution Control Board



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

**O. A. No. 181 of 2023 (EZ)
(Earlier O. A. No. 704/2023/PB)**

**In Re: News item appearing in Dainik Bharat
02.11.2023 titled "प्रशाशनक अंकुश के बाद और तेज़ हुआ
बालू के अवैध खानन के खेल"
Applicant**

Versus

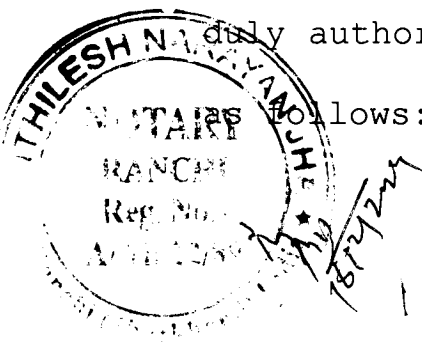
**Jharkhand State Pollution Control Board & Ors.
Respondent**

**Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution
Control Board in compliance of order dated
15/01/2024.**

**I, Yatindra Kumar Das, son of Late K. K. Das presently
posted as the Member Secretary, Jharkhand State
Pollution Control Board, H.E.C, Dhurwa, Ranchi and am**

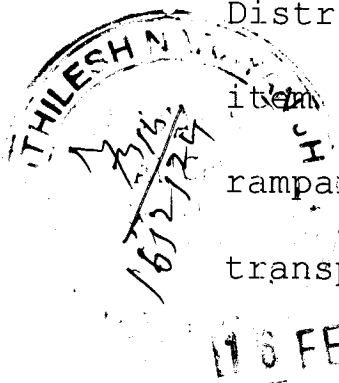
fully authorized and here by solemnly state and affirm

as follows: -





1. That, at present, I am working and posted as the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, H.E.C, Dhurwa, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.
2. That, I have gone through the order dated 15/01/2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata and has understood the contents therein.
3. That, I have been authorized to swear this affidavit on behalf of the Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.
4. That, the instant O.A. was taken up *Suo moto* by the Hon'ble NGT based on the news item which related to the illegal sand mining in Gomia Anchal area of District Bokaro in Jharkhand. As per the said news item report, illegal sand mining is going on rampantly and everyday hundreds of trucks are being transported loaded with illegally mined sand from





the area concerned without there being any fear of the administration. It is alleged in the news item that the administration though aware of the illegal mining has shut its eyes.

5. That, it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp Sankhya 563/MoCo Dated 05/10/2005 has constituted a Task Force at district level to review, follow-up and control the illegal mining activities in the district and has further expanded their jurisdiction vide Memo No. 1188 dated 31/08/2013.

Photocopy of the Memo No. 1188 dated 31/08/2013 is enclosed herewith as **Annexure - 'A'**.

6. That, it is humbly stated and submitted that the JSPCB vide its Ref. No. PC/NGT/40/2023/B-2591 dated 24/11/2023 has directed the Deputy Commissioner - Cum - Chairman, District Task Force (Mining), Bokaro and the District Mining Officer - Cum - Member Secretary, District Task Force (Mining), Bokaro to submit the Action Taken Report.

THILESH N. SINGH
14/2/24

17 FEB 2024

~~6~~

Photocopy of the Board's Ref.

No. PC/NGT/40/2023/B-2591

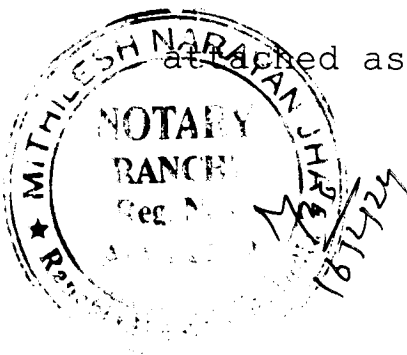
dated 24/11/2023 is enclosed

herewith as **Annexure - 'B'**.

7. That, the Deputy Commissioner, Bokaro vide his letter no. 1927 dated 25/11/2023 has submitted the Status of the illegal mining and has reported that a District Level Task Force has been constituted for taking action against the illegal mining / Transportation / storage of the minerals. The task force is regularly taking action against the illegal mining and has submitted the action taken against the illegal mining in the Gomia Anchal of the Bokaro district which is attached as Annexure 'Ka'. Moreover, it was further informed that apart from this, to prevent transportation of illegal minerals in Bokaro district, check posts have been established at the identified routes and Magistrates have been deputed as per roster on daily basis, the relevant order of which has been attached as Annexure 'Ga'.

Photocopy of the no. 1927/M

dated 25/11/2023 is





enclosed herewith as

Annexure - 'C'.

8. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.

9. That the statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.

Yatiendra Kumar D

DEPONENT

VERIFICATION:

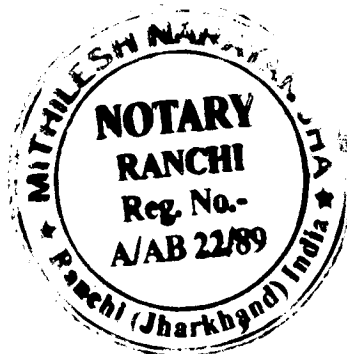
Verified at Ranchi on this the day of ^{16th} February, 2024 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Yatiendra Kumar D

DEPONENT

Authorized under Notaries Act 1956
9 Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Ranchi District

31/12/2024



Mithilesh Narayan Prasad
PUBLIC
RANCHI.

झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प सं० _____/एम०

राँची दिनांक -

संकल्प

झारखंड राज्य में अवैध खनन पर रोकथाम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 द्वारा जिला स्तर पर अवैध खनन के गतिविधियों की नियमित समीक्षा, अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स/उड़न दस्ता के कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए खनिज अन्वेषण के क्रम में गामिणों एवं असाभाजिक तत्वों के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधान के निराकरण को भी सम्मिलित किया जाता है।

2 खनिज अन्वेषण में उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधानों को टास्क फोर्स के समक्ष रखने हेतु संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 के कंडिका - 2 जिससे जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित किया गया है में प्रमंडलीय स्तर के उप निदेशक, भूतत्व एवं जिला स्तर के सहायक निदेशक, भूतत्व को सदस्य के रूप में रखा जाता है। अब जिला स्तर के टास्क फोर्स के सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

जिला स्तर पर टास्क फोर्स

- | | |
|--|--------------|
| 1 उपायुक्त | - अध्यक्ष |
| 2 आरक्षी अधीक्षक | - सदस्य |
| 3 अपर समाहर्ता, राजस्व | - सदस्य |
| 4 जिला खनन पदाधिकारी | - सदस्य सचिव |
| 5 उप निदेशक, भूतत्व | - सदस्य |
| 6 सहायक निदेशक, भूतत्व | - सदस्य |
| 7 वन प्रमंडल पदाधिकारी | - सदस्य |
| 8 जिला स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पं० के पदाधिकारी | - सदस्य |
| 9 जिला परिवहन पदाधिकारी | - सदस्य |

एतदसंबंधी पूर्व में निर्धारित शर्त एवं कर्तव्य यथावत रहेंगे।

यह आदेश सदा प्रभाव से लागू होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

H0/-

(सतेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव

राँची दिनांक -

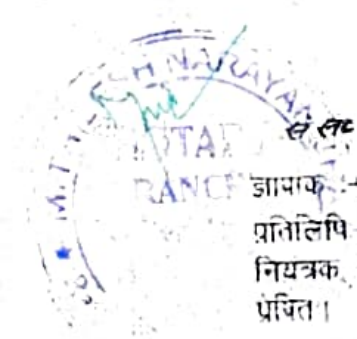
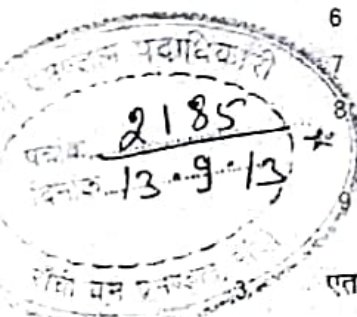
/एम०

ज्ञापक -

प्रतिलिपि - सचिव परिवहन विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/आरक्षी महानिदेशक/क्षेत्रीय नियंत्रक आई०डी०एम०/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पण०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

H0/-

सरकार के सचिव



जापक - 1188 / एफ 0

राची दिनांक - 31-8-13

तलिपि - सभी उपायुक्त / आरक्षी अधीक्षक / वन प्रमंडल पदाधिकारी झारखंड का सूचनाथ एवं
उपस्थित कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक
सरकार के सचिव





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004

Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

By Email

Hon'ble NGT Matter

Time Bound (Urgent)

Ref. No. PC/NGT/40/2023/B-2591

Ranchi, Dated. 24/11/2023

From,

Yatindra Kumar Das,
Member Secretary.

To,

The Deputy Commissioner – Cum –
Chairman, District Task Force (Mining),
Bokaro.
The District Mining Officer – Cum –
Member Secretary, District Task Force (Mining),
Bokaro.

Sub: - Status of the illegal mining in light of the notice of hearing in O. A. 704/2023 in Suo Motu matter In re: News Item appearing in Dainik Bharat dated 02/11/2023 entitled "प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू के अवैध खनन का खेल" – Regarding.

Sir,

With reference to the subject noted above, it is to inform that the Hon'ble NGT, Principal Bench in its notice dated 10/11/2023 in O. A. No. 704/2023 (copy enclosed) titled "प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू के अवैध खनन का खेल" has informed that the matter will be taken up on 29/11/2023.

In light of the above, it is, hereby directed to submit the Action Taken Report in light with the News Item appearing in Dainik Bharat dated 02/11/2023 (copy attached) to the undersigned by 26/11/2023 so that the report may be filed in time.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: As above

Yours Sincerely

Sd/-

(Yatindra Kumar Das)

Member Secretary

Memo No. B-2591

Ranchi, Dated. 24/11/2023

Copy to: The Regional Officer, JSPCB Regional Office – Cum – Laboratory, Dhanbad for information and it is directed to follow up with the District Task Force (Mining), Bokaro and get the report at an earliest.



(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।
(खनन शाखा)

पत्रांक 1927/एम0,

बोकारो

दिनांक 25/11/2023

प्रेषक,

उपायुक्त,
बोकारो।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- Status of the illegal mining in light of the notice of hearing in O.A. 704/2023 in Suo Motu matter In re: News Item appearing in Dainik Bharat dated 02/11/2023 entitled "प्रशासनिक अंकुश के बाद और तेज हुआ बालू के अवैध खनन का खेल"- Regarding.

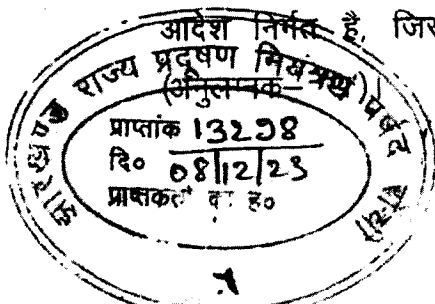
प्रसंग :- आपका पत्रांक 2591, दिनांक 24/11/2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जिलान्तर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के मामलों पर कार्रवाई करने हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स गठित है। टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। विषयांकित मामला गोमिया अंचल से संबंधित है, जिसमें उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत लघु खनिज बालू के अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की विवरणी संलग्न है (अनुलग्नक-क)।

राज्य अन्तर्गत बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। बोकारो जिलान्तर्गत बालू उत्खनन हेतु तैयार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में उक्त Policy के अनुसार Category I एवं Category II बालू घाटों को वर्गीकृत किया गया है। जिलान्तर्गत कुल 06 Category I बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका 3 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन समिति के द्वारा किया जाना है। जिलान्तर्गत Category I बालू घाटों का संचालन उक्त Policy के तहत करने हेतु

आदेश निर्मित है, जिसमें गोमिया अंचल अन्तर्गत 02 Category I के बालू घाट सम्मिलित हैं



Sd/- Mani Shukla
29/11/2023

(12)

जिलान्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की जाती है एवं समीक्षोपरान्त खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

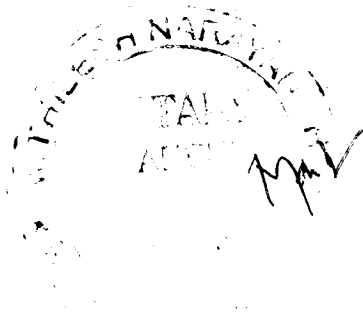
इसके अतिरिक्त बोकारो जिलान्तर्गत अवैध खनिजों के परिवहन के रोकथाम हेतु चिन्हित मार्गों पर चेकनाका स्थापित कर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चेकनाका स्थापित करने संबंधी आदेश संलग्न है (अनुलग्नक-ग)।

उक्त से स्पष्ट है कि जिलान्तर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध नियमित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


25.11.23
उपायुक्त, बोकारो।

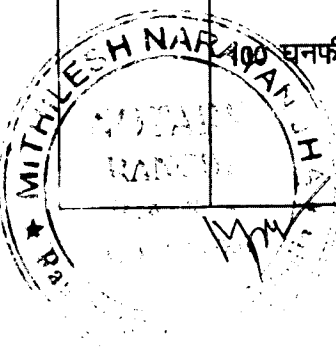




जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

गोमिया अंचल अन्तर्गत अवैध बालू के बावत की गई कार्रवाई की विवरणी।

खनिज	मात्रा	वाहन	FIR	वसूली	अभ्युक्ति
बालू	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 677/रा0, दिनांक 27/07/2022 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	70 घनफीट	01	0	10,000	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1010, दिनांक 09/10/2022 के आलोक में 70 घनफीट बालू लदे ट्रैक्टर से 10,000/- ₹0 की वसूली की गई।
	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 129/रा0, दिनांक 03/02/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 557/रा0, दिनांक 28/04/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर आई0ई0एल0 गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया का ज्ञापांक 277, दिनांक 20/02/23
	70 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 427/रा0, दिनांक 25/05/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 03 टन बालू लदे 1 ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 564/रा0, दिनांक 29/04/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 100 घनफीट बालू लदे 1 ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-38/23, दिनांक 29/04/2023 है।



	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया, के पत्रांक 912, दिनांक 25/07/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर रहावन ओपी0 में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 29/08/23 को 100 घनफीट अवैध बालू लदे 01 ट्रैक्टर को जप्त कर महुआटौड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।





झारखण्ड सरकार
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।
(खनन शाखा)

आदेश

राज्य अन्तर्गत बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। बोकारो जिलान्तर्गत बालू उत्खनन हेतु तैयार किये गये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में उक्त पॉलिसी के अनुसार Category-I एवं Category-II बालू घाटों को वर्गीकृत किया गया है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) को अनुमोदन करते हुए उसकी सूचना सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 53, राँची, दिनांक 28.04.2023 से प्राप्त है। जिलान्तर्गत कुल 06 Category-I बालू घाटों का चयन Empanelled Agency द्वारा किया गया है, जिसकी सूची (अनुलग्नक-‘क’) संलग्न है।

संचालन

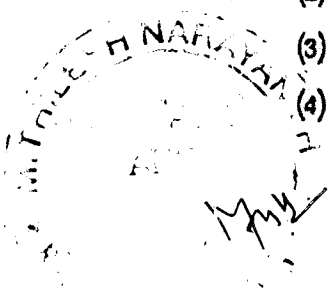
2. खान आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- खा0नि0(विविध)-169/2017/219/एम0, दिनांक 24.01.2018 (अनुलग्नक-‘ख’) द्वारा Category-I अन्तर्गत पड़ने वाले बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका-03 के अनुसार ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा समिति द्वारा किये जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके संचालन हेतु प्रखंड स्तरीय समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-

- (1) संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी (अध्यक्ष),
- (2) संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,
- (3) संबंधित अंचल निरीक्षक।

संबंधित अंचल अधिकारी को अपने क्षेत्रन्तर्गत पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी नामित किया जाता है, ये चयनित Category-I बालूघाटों का सीमांकन करने का कार्य करेंगे। उक्त कार्य हेतु आवश्यक सहयोग सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो प्रदान करेंगी।

पंचायत स्तर पर बालू घाटों का संचालन हेतु गठित समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-

- (1) मुखिया (अध्यक्ष)
- (2) उप मुखिया,
- (3) पंचायत सचिव,
- (4) पाँच सदस्यीय सदस्य शामिल रहेंगे।

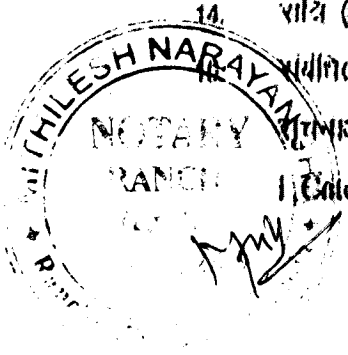


क्रमांक 4 के सदस्य 'The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001' की धारा 71 के तहत गठित स्थायी समिति, सार्वजनिक सम्पदा समिति के तहत क्रियाशील रहेंगे।

शर्तें

3. बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी, गैर व्यावसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए होगा। इन बालू घाटों में बालू के उठाव के लिए किसी भी परिस्थिति में गशीन, पोकलेन, जोरीवी0 आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा बालू के परिवहन के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर किसी भी अन्य भारी वाहन, हाईवा, ट्रक आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इन बालू घाटों से बालू का उठाव कर उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा।
4. Category-I में पड़ने वाले बालूघाटों को तथापि Para 7-(1)-(B) of Part-II Section-3 Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette No. 125 of MoEF & CC, Government of India, New Delhi, dated- 15, January, 2016 (अनुलग्नक-‘ग’) के आलोक में पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से छूट रहेंगी, परन्तु ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन की यह जबाबदेही होगी कि वह सिर्फ सीमांकित क्षेत्र (DSR के अनुसार) से ही बालू का उठाव करेंगे।
5. बालू घाटों से उठाये गये बालू किसी भी प्रकार के स्वामित्व कर आदि से मुक्त होगा। बालू घाटों का पहुँचपथ, प्रबंधन, पर्यवेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा लिया जायेगा, जो कि 100 रुपये प्रति 100 घनफीट की दर से सरकार द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार एकत्र राशि का उपयोग संधारण, अंकेक्षण आदि The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार किया जायेगा।
6. बालू प्राप्तकर्ता को एक प्राप्ति-सह-संचालन स्लिप ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत किया जायेगा, उक्त कार्य हेतु पंचायत स्तरीय समिति अपने किसी सदस्य को प्राधिकृत करेंगे एवं इस संदर्भ में संबंधित अंचल अधिकारी को पूर्व में ही सूचित करेंगे। "प्राप्ति-सह-परिचालन स्लिप" का तीन प्रतियों में संधारण किया जायेगा (अनुलग्नक-‘घ’ में संलग्न), जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन के पास, एक प्रति बालू खनिज प्राप्तकर्ता के पास तथा एक प्रति प्राधिकृत पर्यवेक्षण (अंचल अधिकारी) के लिए होगा। प्राप्ति-सह-परिचालन स्लिप को तीन प्रतियों में क्रमांक संख्या (Sl. No) के साथ छपवाते हुए संबंधित पंचायत को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
7. बालू घाट से प्राप्त राजस्व का अलग से बैंक खाता खोलकर संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। बालू से प्राप्त होने वाली संधारण राशि कोष में जमा करने की जिम्मेवारी संबंधित पंचायत सचिव की होगी।

8. मौलिक काल में माननीय NCT के आदेश व खनन, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतियोजित अवधि में किसी भी परिस्थिति में बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के Appendix: Table- 9 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए यह अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है।
9. सभी संबंधित ग्राम पंचायत समिति के अधीन The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 के धारा 84 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत यह सुनिश्चित करायेंगे कि Category-I बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव न हो।
10. संबंधित पंचायत स्तर समिति उत्तराधिकारित बालू की मात्रा, समाहरण की गई राशि की विवरणी इत्यादि का प्रतिवेदन (प्रतिमाह) अगले महीने की 10 वीं तारीख तक अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बोकारो एवं जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को अनुलग्नक-“भ” में संलग्न प्रपत्र में समर्पित करेंगे।
11. पंचायत स्तर समिति द्वारा बालू प्राप्ति हेतु आवेदनों का एक पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें बालू उठाव से संबंधित निगरानी इकाई की जाएगी तथा उक्त पंजी में प्रविष्टि करने के पश्चात छी निम्नी ट्रेक्टर को बालू उठाव हेतु घाट में जाने की अनुमति दी जाएगी। पंजी का नमूना अनुलग्नक-“ख” में संलग्न। बालू प्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा आवेदन मुखिया/उपमुखिया या पंचायत सचिव को समर्पित किया जायेगा। यथा आवश्यक विशेषतः सरकारी योजनाओं में बालू की आवश्यकता से संबंधित बालू प्राप्ति हेतु आवेदन उक्त पंचायत स्तरीय समिति के अतिरिक्त संबंधित अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी दिया जा सकेगा, जो कि आवश्यक कार्रवाई हेतु पंचायत स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जा सकेगा।
12. इन बालू घाटों से बालू का उठाव की अधिकतम गहराई स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो 03 मीटर से अधिक नहीं होगा। बालू घाटों पर एक समय पर अत्यधिक ट्रैक्टरों का जमावड़ा नहीं लगे इस संबंध में स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा संख्या निर्धारित की जाएगी, जो 10 से अधिक नहीं होगा।
13. प्रखण्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय समिति अपने क्षेत्रान्तर्गत Category-I बालू घाटों का प्रसार-प्रसार करेंगे एवं उपयोगिता के संदर्भ में आगजनों को अवगत करायेंगे। प्रखण्ड स्तरीय समिति एवं पंचायत स्तरीय समिति सभी पंचायत भवनों में एवं अंचल व प्रखण्ड कार्यालय में Category-I बालू घाट के विवरण को अनिवार्य Wall painting कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. सड़ि (सूरीयत से सूरीयत तक) में संबंधित बालू घाटों से बालू उठाव पर प्रतिबंध रहेगा। संबंधित पंचायत स्तर समिति अपने Category-I बालू घाट पर एक नामपट्ट निम्नलिखित सूचनाओं के साथ प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।
1. Category-I बालू घाट का नाम, अंचल, मौजा, खोटा, प्लॉट एवं रकबा।



- ii ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का नाम एवं मोबाईल नम्बर।
 iii अबतक कुल निष्काशित खनिजों का आयतन।
 iv पर्येक्षण पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर।
16. उपरोक्त किन्हीं शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित पंचायत स्तरीय समिति एवं संबंधित मुखिया की जबाबदेही तय करते हुए प्रभावी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी।
17. Category-I बालू घाटों में समय-समय पर खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य कोई विभाग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची, एवं मननीय NGT द्वारा बालू घाटों के संचालन के संदर्भ में निर्गत आदेश स्वतः लागू होंगे।
18. Category-I बालू घाटों का संचालन हेतु The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के सभी शर्तें लागू होंगे, जो निम्न प्रकार है:-

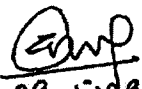
3. Management of Sand Deposits of Category-1 Streams/Rivers:

- The sand deposits of Category-1 stream/rivers will be kept fully free from domain of grant of mining lease.
- The sand from this category can be used only for non-commercial purposes such as domestic purpose, Community purposes, Government Sponsored Schemes etc. or as defined in Appendix - IX of Part-II-Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016.
- Gram Panchayat/Local Self Government shall be responsible for supervision of sand collection from such area.
- There shall be no transfer or subletting of the sand deposits from these Streams/Rivers.
- The sand from these Streams/Rivers shall be free from any taxes, royalty or levy.
- For the purpose of maintenance of the approach road, management, supervision etc. a nominal Maintenance Charge shall be levied by Gram Panchayat/Local Self Government per unit volume of sand lifted/collected/dispatched, as per the rate decided by Department of Industries, Mines and Geology, Government of Jharkhand.
- It shall be responsibility of Gram Panchayat/Local Self Government to ensure that sand from these deposits is not used for any commercial purposes and to

FILE H NARAYAN
 [Signature]



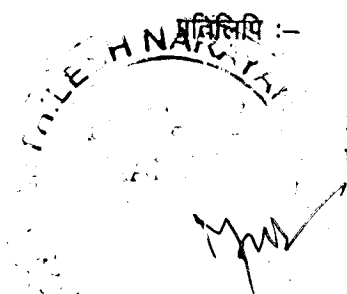
- regulate the same, a receipt-cumdispatch challan will be issued by the Gram Panchayat/Local Self Government in the format as prescribed by the State.
- h. The maintenance charge so collected shall be deposited in the account of Gram Panchayat/Local Self Government.
 - i. The book keeping of this account shall be maintained by Gram Panchayat/Local Self Government according to prevailing rules and guidelines of the Gram Panchayat/Local Self Government.
 - j. Under no circumstances the sand shall be allowed to be stored from these Streams/Rivers.
 - k. As mentioned in para 7-(i)-(B) of Part-II-Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016 such usage of sand shall be exempted from environmental clearance.
 - l. This shall be the responsibility of the Gram Panchayat/Local Self-Government to restrict sand mining in prohibited areas as directed by the Department.
 - m. Under no circumstances mechanized lifting of sand shall be allowed from these category of streams/rivers.
 - n. The Deputy Commissioner shall put in place proper administrative/enforcement mechanism to ensure no commercial/illegal extraction of sand from these orders of streams/rivers.
19. उपरोक्त शर्तों में संशोधन एवं किसी अन्य शर्तों को लगाये जाने का विशेष-अधिकार तथा किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपायुक्त, बोकारो का रहेगा।
- उपरोक्त शर्तों के आधार पर जिलान्तर्गत Category-I बालू घाटों से निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए बालू के उठाव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।


09.5.23
उपायुक्त, बोकारो।

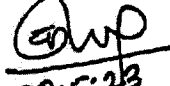
ज्ञापांक- 961, दिनांक- 16/05/2023

प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित मुखिया/पंचायत सचिव, जिला-बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित प्रखंड समन्वयक, पंचायत स्वशासन परिषद, बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



3. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित अंचलाधिकारी, बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत समिति को "प्राप्ति-सह-परिचलन स्लिप" को तीन प्रति (triplicate) में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


09.5.23
उपायुक्त, बोकारो।



DISTRICT MINING OFFICE, BOKARO

Details of Sand Ghats – Category I

Sl. No.	Name of Sand Ghat	River	Block	Mouza	Khata No.	Plot No.	Area (Ha.)
1	<i>Pindra_Tulbul_Snad Ghat</i>	<i>Bokaro</i>	<i>Gomia</i>	<i>Pindra</i>		<i>35, 16, 34, 753, 769, 1, 819</i>	<i>16.92</i>
				<i>Tulbul</i>		<i>819, 1</i>	
2	Bokaro Steel City Sand Ghat	Damodar	Chas	Bokaro Steel City		308, 1, 45	10.31
3	<i>Barkipunu Sand Ghat</i>	<i>Damodar</i>	<i>Gomia</i>	<i>Barkipunu</i>		<i>3678, 4033, 3677</i>	<i>14.96</i>
4	Chakulya Sand Ghat	Ishri	Chas	Chakulya	217	2446, 884	6.47
5	Khatka Sand Ghat	Garga	Chas	Katka	114	169	7.61
6	Sarjori_Harayak_Udwa_Sand Ghat	Ishri	Chandankiyari	Saharjori, Harayak, Udwa			8.6



उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

(गोपनीय शाखा)

-:आदेश:-

बोकारो जिला अन्तर्गत अवैध खनिज के परियहन के रोकथाम हेतु तेलमोचो बृज, बिरसा पुल, चन्द्रपुरा, बरमसिया, नावाडीह, पेटरवार तथा चंदनकियारी में चेक नाका स्थापित करते हुए चक्रानुसार अगले आदेश तक निम्नवत दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

तेलमोचो पुल चेकनाका

क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री नरेन्द्र नाथ शुक्ला, कनीय अभियंता, चास। मो०-9430312177	श्री विश्वास कुमार महतो, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7870425547	श्री चंदन कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7858991461
2	मंगलवार	श्री अभय कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9835367716	श्री आशीष कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9334002379	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7004416389
3	बुधवार	श्री जितेन्द्र कुमार साहु, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9009796696	श्री दीपक कुमार, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903584230	श्री राजेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903695730
4	गुरुवार	श्री चंदन कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7858991461	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7004416389	श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-7004557850
5	शुक्रवार	श्री राजेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903695730	श्री नरेन्द्र नाथ शुक्ला, कनीय अभियंता, चास। मो०-9430312177	श्री विश्वास कुमार महतो, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7870425547
6	शनिवार	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-9525928922	श्री अभय कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9835367716	श्री आशीष कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9334002379

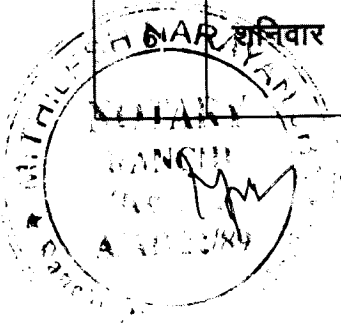
23

7	रविवार	श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-7004557850	श्री जितेन्द्र कुमार साहु, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो0-9009796696	श्री दीपक कुमार: कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7903584230
मिर्धा (पिड़ाजोरा) चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री कौशिक कात्यायन, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो0-9430497825	श्री विशाल कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, बोकारो। मो0-8969911010	श्री उमेश प्रसाद रेवानी, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो0-9334943548
2	मंगलवार	श्री नौशाद आलम, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो0-9798910572	श्री संधीर कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो0-7250846206	श्री राम कुमार, कनीय अभि0, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो0 6201425717
3	बुधवार	श्री चितरंजन कुमार सिंह, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-8770139265	श्री आजाद कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9693307882	श्री सरोज मेहता, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा चास, बोकारो। मो0-8210550371
4	गुरुवार	श्री राम कुमार, कनीय अभि0, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो0 6201425717	श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-8434512125	श्री मनोज कुमार मिश्रा, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, बोकारो। मो0-9431169092
5	शुक्रवार	श्री उमेश प्रसाद रेवानी, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो0-9334943548	श्री कौशिक कात्यायन, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो0-9430497825	श्री विशाल कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, बोकारो। मो0-8969911010
6	शनिवार	श्री सरोज मेहता, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा चास, बोकारो। मो0-8210550371	श्री नौशाद आलम, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो0-9798910572	श्री संधीर कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो0-7250846206

28

24

7	रविवार	श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-8434512125	श्री चितरंजन कुमार सिंह, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-8770139265	श्री आजाद कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9693307882
बिरसा पुल (चंदनकियारी) चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री मेघलाल महतो, कनीय अभियंता, चन्दनकियारी। मो0-9931621129	श्री भुवनेश्वर महतो, बी0पी0ओ0, चन्दनकियारी, मो0-7766031164	श्री सुरज कुमार, सहायक अभि0 (मनरेगा), चन्दनकियारी। मो0-8651953265
2	मंगलवार	श्री अशोक सिंह चौधरी, कनीय अभियंता, (मनरेगा) चन्दनकियारी। मो0-8789661604	डॉ सुमन कुमार, भ्र0पशु चि0पदा0, बरमसिया। मो0-947118422	श्री प्रमोद कुमार, बी0पी0ओ (मनरेगा), चंदनकियारी। मो0-8789369125
3	बुधवार	श्री राकेश कुमार, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो0-9122703906	डॉ0 अमित कुमार अमित, भ्र0 पशु चिकित्सा पदा0, चन्दनकियारी। मो0-8986764934	श्री संदीप कुमार, I/C. BTM, चन्दनकियारी। मो0-8102887808
4	गुरुवार	श्री जितेन्द्र कुमार यादव, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो0-7992318486	श्री मेघलाल महतो, कनीय अभियंता, चन्दनकियारी। मो0-9931621129	श्री जय प्रकाश यादव, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चन्दनकियारी। मो0-7870107603
5	शुक्रवार	श्री सुरज कुमार, सहायक अभि0 (मनरेगा), चन्दनकियारी। मो0-8651953265	श्री अशोक सिंह चौधरी, कनीय अभियंता, (मनरेगा) चन्दनकियारी। मो0-8789661604	श्री भुवनेश्वर महतो, बी0पी0ओ0, चन्दनकियारी, मो0-7766031164
	शनिवार	श्री प्रमोद कुमार, बी0पी0ओ (मनरेगा), चंदनकियारी। मो0-8789369125	श्री संदीप कुमार, I/C, BTM, चन्दनकियारी। मो0-8102887808	डॉ सुमन कुमार, भ्र0पशु चि0पदा0, बरमसिया। मो0-947118422



27

28

7	रविवार	श्री जय प्रकाश यादव, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चन्दनकियारी। मो0- 7870107603	श्री राकेश कुमार, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो0-9122703906	डॉ० अमित कुमार अमित, भ्र० पशु चिकित्सा पदा०, चन्दनकियारी। मो0-8986764934
चन्दनकियारी बंगाल सीमा पेट्रोल पम्प के पास चेकनाका				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री मनीराम मुण्डा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-6200697098	श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7761926968	श्री स्वर्णजीत कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7979756026
2	मंगलवार	श्री राम सुंदर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8340587740	श्री ब्रजेश कुमार राय, प्रति० कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-8210726634	श्री चन्दन कुमार, प्रति० कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-7858991451
3	बुधवार	श्री दीपक कुजुर, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8987587527	श्री कपिश्वर सिंह, CLTC Municipal Finance, चास नगर निगम, चास। मो0-9905829229	श्री विशाल कुमार, अनुप गुंजन टोप्पो, नगर प्रबंधक, चास नगर निगम, चास। मो0-808456064
4	गुरुवार	श्री स्वर्णजीत कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7979756026	श्री अमन मल्लिक, शहरी संरचना विशेषज्ञ, चास नगर निगम, चास। मो0-7987858134	श्री पवन पाण्डेय, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7488003934
5	शुक्रवार	श्री चन्दन कुमार, प्रति० कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-7858991451	श्री मनीराम मुण्डा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-6200697098	श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7761926968
	शनिवार	श्री विशाल कुमार, अनुप गुंजन टोप्पो, नगर प्रबंधक, चास नगर निगम, चास। मो0-808456064	श्री राम सुंदर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8340587740	श्री ब्रजेश कुमार राय, प्रति० कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-8210726634



7	रविवार	श्री पवन पाण्डेय, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7488003934	श्री दीपक कुजुर, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8987587527	श्री कपिश्वर सिंह, CLTC Municipal Finance, चास नगर निगम, चास। मो0-9905829229
बरमसिया (चंदनकियारी) चेकनाका				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री अजीत कुमार भट्ट, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो0-9162912205	श्री श्यामाप्रसाद चन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो0-9749432917	श्री गणेश कुमार दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8709873900
2	मंगलवार	श्री अमरजीत कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-9210718088	श्री कमल किशोर, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8969496607	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, प्रति० कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-9798172009
3	बुधवार	श्री हरिन्द्र कुमार पाठक, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7004367596	श्री शंभु लाल, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8210923769	श्री अविक अंबाला, सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चास। मो0-7544099310
4	गुरुवार	श्री गणेश कुमार दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8709873900	श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7004894267	श्री राहुल कुमार, CLTC, चास नगर निगम, चास। मो0-6201232304
5	शुक्रवार	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, प्रति० कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-9798172009	श्री अजीत कुमार भट्ट, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो0-9162912205	श्री श्यामाप्रसाद चन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो0-9749432917
	शनिवार	श्री राहुल कुमार, CLTC, चास नगर निगम, चास। मो0-6201232304	श्री अमरजीत कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-9210718088	श्री कमल किशोर, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8969496607



25

27

7	रविवार	श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7004894267	श्री हरिन्द्र कुमार पाठक, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7004367596	श्री शंभु लाल, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8210923769
चन्द्रपुरा चेकनाका				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री कैलाश मराण्डी, प्र० शिक्षा प्र० पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो0-7250056933	श्री राकेश कुमार महतो, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0- 7053343728	श्री राजकिशोर हाँसदा, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मो0- 9852425897
2	मंगलवार	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, चन्द्रपुरा। मो0-7654828624	श्री विश्वनाथ रजक, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0- 8210481519	श्री रामसुन्दर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास, चन्द्रपुरा मो- 8340587740
3	बुधवार	श्री सत्येन्द्र नारायण, अप० पशु चि० पदा०, चन्द्रपुरा। मो0-9934435365	श्री पप्पु कुमार बाउरी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-8210255260	श्री बबलू सिंह, प्र० कृषि तकनिकी पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो- 9308730583
4	गुरुवार	श्री परमेश्वर महतो, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मो0- 8298161054	श्री शक्ति रविदास, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9608385803	श्री विश्वनाथ रजक, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0- 8210481519
5	शुक्रवार	श्री राजकिशोर हाँसदा, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मो0- 9852425897	श्री कैलाश मराण्डी, प्र० शिक्षा प्र० पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो0-7250056933	श्री राकेश कुमार महतो, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0- 7053343728
6	शनिवार	श्री रामसुन्दर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास, चन्द्रपुरा मो- 8340587740	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, चन्द्रपुरा। मो0-7654828624	श्री शक्ति रविदास, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9608385803



24

28

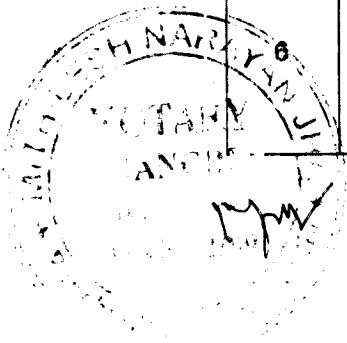
7	रविवार	श्री पप्पु कुमार बाउरी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-8210255260	श्री बबलू सिंह, प्र० कृषि तकनिकी पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो- 9308730583	श्री सत्येन्द्र नारायण, प्र० पशु चि० पदा०, चन्द्रपुरा। मो0-9934435365
नावाडीह चेकनाका				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री सत्येन्द्र साह, प्र०सां० पर्यवेक्षक, नावाडीह। मो0- 6200937506	श्री आशीष रंजन, प्र० कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, नावाडीह। मो0-9430752205	श्री नवीन कुमार कुल्लू, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नावाडीह। मो0-6205396196
2	मंगलवार	श्री कमाल अख्तर, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9708528265	श्री राजीव रंजन, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9608631113	श्री विश्वनाथ महतो, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-7079375702
3	बुधवार	श्री वरुण कुमार मिश्रा, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-9031894607	श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-7479414181	श्री सुबोध कु० प्रजापति, प्र० समन्वयक (प०रा०), नावाडीह। मो0-9006970645
4	गुरुवार	मो० अहमद रजा खान, प्र० समन्वयक (PMAY- G), नावाडीह। मो0-9334269640	श्री कमलेश कुमार, प्र० समन्वयक (SBM), नावाडीह। मो0-9905716590	मो० आकिब अहमद, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, नावाडीह। मो0-9430333916
5	शुक्रवार	श्री रामजीवन पासवान, कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, नावाडीह, पथ अवर प्रमंडल, बेरमो। मो0-8227999363	श्री विनोद प्रसाद मोदी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, नावाडीह (चंदनकियारी प्रखण्ड के प्रभार में) मो0-9955190174	कुमार वैकटेश, बी०पी०ओ०, नावाडीह, मो0-9431745004
	शनिवार	श्री मोति लाल, BTM, नावाडीह। मो0-9576242135	श्री कमाल अख्तर, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9708528265	श्री राजीव रंजन, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9608631113

कमलेश

(28)

(28)

7	रविवार	श्री विश्वनाथ महतो, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-7079375702	श्री वरुण कुमार मिश्रा, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-9031894607	श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-7479414181
पेटरवार चेकनाका				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री धर्मरक्षित विद्यार्थी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, पेटरवार। मो0- 9431326476	श्री कृष्ण चन्द्र दोराई बुरु, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, पेटरवार। मो0- 8809410416	श्री शहदेव कर्मकार, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पेटरवार। मो0-9798968422
2	मंगलवार	मो0 कुरबान अली, कनीय अभियंता (15वें वित्त), पेटरवार। मो0- 8002534384	श्री लखिन्द्र कुमार, कनीय अभियंता (15वें वित्त), पेटरवार। मो0- 8969922808	श्री राम कुमार, कनीय अभियंता, पेटरवार। मो0- 6201425717
3	बुधवार	मो0 इकबाल, कनीय अभियंता, मनरेगा, पेटरवार। मो0-9546997997	श्री लुटबरण महतो (BTM), पेटरवार। मो0-8228945453	श्री शास्त्री साह, सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, पेटरवार। मो0-9430308778
4	गुरुवार	श्री धनन्जय कुमार सिंह, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9304633620	श्री अरुण कुमार, सहायक अभि0, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0 8080310040	श्री सुधीर कुमार मांझी, कनीय अभि0, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0-8709890986
5	शुक्रवार	श्री देवांशुमान कुमार, कनीय अभि0, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार मो0-9123260082	श्री सुधीर कुमार दास, कनीय अभि0, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0-7654644556	श्री अनिल लकड़ा, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-6207832702
	शनिवार	श्री प्रमोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, धनबाद। मो0-9431386592	श्री जियाउद्दीन, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, धनबाद। मो0-9939361080	श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9123233475





7	रविवार	श्री विष्णु कुमार खानी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9304674102	मो0 फिरोज, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-7277608538	श्री मनोज कुमार वेदिया, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-7250223691
---	--------	--	---	---

- सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अपना योगदान जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को देते हुए अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित दिवस एवं समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी चेक नाका पर खनिज लदे वाहनों की जाँच करेंगे। साथ ही वाहनों में लदे खनिज से संबंधित परिवहन चालान आदि नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही यदि परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन का मामला आता है तो आवश्यक कार्रवाई हेतु इसकी सूचना तुरंत जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो को या उनके कार्यालय में देते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी निम्नलिखित प्रपत्र में खनिज लदे वाहनों की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को उपलब्ध करायेंगे।

विहित प्रपत्र						
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम :-						
तिथि एवं समय :-						
क्र0सं0	वाहन संख्या	परिवहन चालान वाहन में पाया गया या नहीं	चालान संख्या	चालान वैध है या नहीं। (समय/मात्रा/प्रकार इत्यादि)	खनिज का प्रकार	अभ्युक्ति

- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे :-

विहित प्रपत्र							
क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	वाहन संख्या	चालान संख्या	चालान वैध है या नहीं। (समय/मात्रा/प्रकार इत्यादि)	खनिज का प्रकार	कृत कार्रवाई	अभ्युक्ति

- चेक, नाका में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के द्वारा किये जा रहे कार्यों के सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नवत वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

Mp

31

32

क्र०सं०	चेक नाका का नाम	वरीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	तेलमच्चो ब्रिज चेकनाका	1. श्रीमती कीर्तिश्री जी, उप विकास आयुक्त, बोकारो। मो०- 6396085524 2. श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, प्रखण्ड विकास पदा०, चास, मो०- 9430345685
2	मिर्धा (पिड्डाजोरा) चेकनाका	1. श्री सादात अनवर, अपर समाहर्ता, बोकारो। मो०- 7808228228 / 9431130478 2. श्री दिलीप कुमार, अंचल अधिकारी, चास। मो०-7463083045
3	बिरसा पुल (चंदनकियारी) चेकनाका	1. श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पदाधिकारी, चास। मो०-9431126791 2. श्री रामा रविदास, अंचल अधिकारी, चंदनकियारी, मो०- 9572705080
4	चंदनकियारी बंगाल सीमा पेट्रोल पम्प के पास चेकनाका	1. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास। मो०- 8210203023 2. श्री अजय कुमार वर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दनकियारी। मो०- 9572118994
5	बरमसिया (चंदनकियारी) चेकनाका	1. श्रीमती मनीषा वत्स, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो, मो०- 9162647069 2. श्रीमती सत्यबाला सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो। मो०-8709895476
6	चन्द्रपुरा चेकनाका	1. श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी, तेनुघाट। मो०- 9142735905 2. श्री संदीप कुमार मद्देशिया, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा, मो०-8294880301 3. श्रीमती रेणुबाला, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो०-8789015183
7	नावाडीह चेकनाका	1. श्री अनंत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट)। मो० 9631101825 2. श्री अशोक कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी, नावाडीह, मो०-8210027037 3. श्री संजय शांडिल्य, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, मो०-9431503441
8	पेटरवार चेकनाका	1. श्रीमती छविवाला बारला, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो। मो०- 8292603450 2. श्री ब्रजेश श्रीवास्तव अंचल अधिकारी, पेटरवार, मो०- 8789566643 3. श्री शैलेन्द्र कुमार चौरसिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पेटरवार। मो०- 7979853424

➤ सभी प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि संबंधित चेक नाका का औद्योगिक निरीक्षण कर चेक नाका में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

(30)

(30)

- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो खनन निरीक्षक, बोकारो भी निर्धारित चेक नाका का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
- पुलिस अधीक्षक, बोकारो खनिज लदे वाहनों की जाँच हेतु सभी चेक नाका पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के साथ 24X7 पुलिस पदाधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता—
उपायुक्त, बोकारो।

ज्ञापांक 1668/गो०,

दिनांक 31.05.2022

- प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, बोकारो/उप विकास आयुक्त, बोकारो/अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास/अपर समाहर्ता, बोकारो/अनुमंडल पदाधिकारी, चास/बेरमो (तेनुघाट)/जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो/जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो/श्रीमती मनीषा वत्स, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो/श्रीमती छविवाला बारला, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो/श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी, तेनुघाट/खनन निरीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि— सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

31/5/2022
उपायुक्त, बोकारो।

